न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 436–दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–12–2012 पारित व्दारा – अनुविभागीय अधिकारी, टीकमगढ़ – प्रकरण क्रमांक 07/2012–13 अपील

वालकृष्ण पुत्र भगवान दास यादव
ग्राम श्याग रानीपुर तहसील टीकमगढ़ -----आवेदक

विरूद्ध

1– संतोष पुत्र दयाली यादव
2– दयाली पुत्र सुनू यादव
ग्राम श्याग रानीपुर तहसील टीकमगढ़ ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 20–1–2016 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 3–12–12 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है अनावेदकगण ने तहसीलदार टीकमगढ़ के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम स्याग रानीपुर स्थित कुल किता 4 कुल रकबा 2.112 हैक्टर पर हिस्से के अनुपात में बटवारा किये जाने की मांग की, जिस पर आवेदक व्दारा कब्जे के आधार पर उक्त भूमि पर स्वत्व वावत् आपत्ति प्रस्तुत की एंव स्वत्व का मामला व्यवहार न्यायालय से निराकृत कराने हेतु तीन माह तक कार्यवाही रोकने

की मांग रखी। तहसीलदार टीकमगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 39 अ 27/2011-12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 13-8-12 से आवेदक की आपत्ति अमान्य की। तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 13-8-12 के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष अपील क्रमांक 07/2012-13 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 3-12-12 से तहसीलदार का प्रकरण संहिता की धारा 178 के अंतर्गत निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार टीकमगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 39 अ 27/2011-12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 13-8-12 से स्वत्व का मामला व्यवहार न्यायालय से निराकृत कराने हेतु तीन माह तक कार्यवाही रोकने की आवेदक की मांग अमान्य की है। इस अंतरिम आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। विचार योग्य है कि क्या तहसीलदार के अंतरिम आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष अपील ग्राह्य योग्य एंव प्रचलन योग्य है ? तहसीलदार के किसी भी अंतरिम आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील ग्राह्य नहीं है क्योंकि अंतरिम आदेश के विरूद्ध उपाचार केवल निगरानी है । अतः अनुविभागीय अधिकारी, टीकमगढ़ का आदेश दिनांक 3-12-2012 विधि के प्रभाव से शून्यवत् है।

4/ विचाराधीन निगरानी में यह भी देखना है कि क्या तहसीलदार टीकमगढ़ ने स्वत्व का मामला व्यवहार न्यायालय से निराकृत कराने हेतु तीन माह तक कार्यवाही रोकने वावत् आवेदक की आपत्ति अमान्य करने में त्रृटि की है ? तहसीलदार के समक्ष मामला रिकार्डेड भूमिस्वामियों के हिस्से के मान से बटवारे का है जबकि आवेदक बटवारा किये जाने वाले भूमि पर कब्जे के आधार पर अपना स्वत्व बताते हुये कार्यवाही रोके जाने की मांग कर रहा है ऐसी स्थिति में तहसीलदार टीकमगढ़ का अंतरिम आदेश दि. 13-8-12 स्पष्ट आदेश है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है, अपितु ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक वाद विचारित भूमि का बटवारा न होने देने के उद्धेश्य से बटवारा कार्यवाही विलम्बित रखना चाहता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नियम एंव प्रकिया को ध्यान में रखते हुये अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ व्दारा अपील क्रमांक 07/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 3-12-12 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव विचाराधीन निगरानी वास्तविक तथ्यों के विपरीत पाये जाने से इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर